R- 145-I/14

## समक्ष : श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

शिकायत क्रं. 03/13

सिवनी दिनॉक :- 14/12/13

परमानंद जायसवाल आ. स्व. श्री जियालाल जायसवाल
निवासी - विवेकानंद वार्ड, कटंगी रोड सिवनी
तहसील व जिला - सिवनी (म.प्र.)

—— आवेदक/शिकायतकर्ता

-विरुद्ध-

1. खेलचंद आ. भेजनलाल पंवार, निवासी ग्राम चीचलडोहमाल तह.-थाना कुरई जिला सिवनी
2. हरिचंद आ. मारोती महार, निवासी ग्राम नंदौरा तह.-थाना कटंगी जिला बालाघाट
3. पुरषोत्तम आ. मधु कोहरी, निवासी ग्राम नंदौरा तह.-थाना कटंगी जिला बालाघाट
4. बालकराम आ. मयाराम ग्वारा, निवासी ग्राम नंदौरा तह.-थाना कटंगी जिला बालाघाट

सभी भूधारी ग्राम चीचलडोहमाल/रैयत तहसील कुरई जिला सिवनी (म.प्र.) ——अनावेदकगण

... के वक्षो को काटकर उसकी लकड़ी को कागजी हेराफेरी करके ... भुगतान प्राप्त करने के प्रयासो की ... ने बाबद तथा ... से

संदर्भ :- 1. न्यायालय अपर कलक्टर ... खेलचंद, हरिचंद, पुरषोत्तम, बालकराम - ... वेरुद्ध ... रैयत, तहसील कुरई, जिला सिवनी।

2. मुख्य वन संरक्षक सिवनी का पत्र क्रं./स्टेनो/1549 दि. 21.03.12- पुरषोत्तम कोहरी
3. मुख्य वन संरक्षक सिवनी का पत्र क्रं./स्टेनो/1638 दि. 26.03.12- बालकराम ग्वारा
4. मुख्य वन संरक्षक सिवनी का पत्र क्रं./स्टेनो/1642 दि. 26.03.12- खेलचंद पंवार
5. मुख्य वन संरक्षक सिवनी का पत्र क्रं./स्टेनो/1644 दि. 26.03.12- हरिचंद महार
6. मुख्य वन संरक्षक सिवनी का प्रत्र क्रं./स्टेनो/1749 दि. 31.03.12- कॉमन(सभी)
7. रिट याचिका क्रं. 819/13 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय 22.07.13
8. शासकीय अधिवक्ता जबलपुर का पत्र दि. 20.09.13 - प्रमुख सचिव म.प्र. शासन विधि एंव विधायी कार्य विभाग विंध्याचल भवन भोपाल तथा सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
9. वन मंडलाधिकारी दक्षिण सिवनी उत्पादन वनमंडल का भुगतान प्रमाणक 59 माह अक्टूबर/13 - पुरषोत्तम कोहरी को भुगतान रु 4,49,114/- बाबद।

महोदय,

आवेदक/शिकायतकर्ता निम्न विनय सादर प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि, अनावेदकगणो - खेलचंद, हरिचंद, पुरषोत्तम, बालकराम की भूमि में स्थित सागौन वृक्ष अवैध रुप से काटा जाना आरोपित करते हुए पटवारी ने कटे वृक्षो की जप्ती कर उन्ही के सुपुर्दनामे पर देकर तहसीलदार कुरई को प्रतिवेदित किया। तहसीलदार द्वारा चारो प्रतिवेदन पृथक-पृथक अग्रेषित किए जाने पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी (ग्रामीण) के न्यायालय में क्रमशः रा.प्र.क्रं. 01, 02, 03, 05/अ-63/10-11 पंजीबद्ध हुए - जिनकी सुनवाई उपरांत दि. 21.03.11 को निराकृत करते हुए आदेश पारित कर प्रत्येक प्रकरण में रु 5,000/- अर्थदंड अधिरोपित कर - काष्ठ वन विभाग को विक्रय करने तथा उसका मूल्य भूमिस्वामी को भुगतान करने हेतु काष्ठ जप्ती से मुक्त कर दी गयी - इन आदेशो को स्वा-प्रेरणा से पुनरीक्षण में लेकर न्यायालय कलेक्टर सिवनी में प्र.क्रं. 27/अ-63/10-11 पंजीबद्ध किया गया जिसकी सुनवाई उपरांत दि. 04.11.11 को आदेश पारित कर इसका निराकरण किया गया जिसमें अधिरोपित अर्थदंड के अलावा अवैध रुप से कटी काष्ठ के मूल्य की राशि में से रु 20,000/- की राशि प्रत्येक प्रकरण में राजसात की जाना भी आदेशित किया गया और पारित आदेश की प्रतिलिपि वनमंडल अधिकारी दक्षिण सिवनी सामान्य को

**IX(a)BR(H)-11**

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

प्रकरण कमांक – निग0 145–एक/14 जिला – सिवनी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 17-2-16 | प्रकरण का अवलोकन किया । यह स्वमेव निगरानी आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर पंजीबद्ध की गई है जिसमें आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर सिवनी के प्रकरण कमांक 27/अ–63/10–11 में पारित आदेश दिनांक 04–11–2011 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।<br>2/ प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा मौखिक तर्क किए गए तथा आवेदक द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई है ।<br>3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर सिवनी के प्रकरण कमांक 27/अ–63/10–11 में पारित आदेश दिनांक 04–11–2011 को निरस्त करने की मांग की गई है । इस संबंध में कलेक्टर, सिवनी द्वारा पत्र कमांक 2856/री कले./15 दिनांक 23.3.15 के साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कमांक 813/2013 अनावेदक पुरूषोत्तम विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22–7–13 एवं याचिका कमांक 1324/2013 खेलचंद पंवार विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21–1–14 एवं याचिका | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों / अभिभाषक के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | कमांक 1327/2013 अनावेदक हरीचंद महार विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21-1-14 की प्रतियां संलग्न की गई हैं । इनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के जिस आदेश दिनांक 04-11-11 को निरस्त करने की मांग की गई है उसके संबंध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष तक गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह पाया है कि 4-11-11 के आदेश को पारित करने के उपरांत जिलाध्यक्ष को उस आदेश पर पुनः विचार करने और आवश्यक आदेश देने के निर्देश देने का अधिकार नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि न्यायिक आदेश पारित करने के उपरांत प्रशासकीय आदेश द्वारा उक्त आदेश को परिवर्तित नहीं किया जा सकता । माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को देखते हुए प्रकरण में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह स्वमेव निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है ।<br>4/ उभपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो ।<br>सदस्य | |